भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3239
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

3239. श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके :
श्री ज्ञानेश्वर पाटील :
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र की निचली अदालतों में तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त मामलों का प्रतिशत कितना है ;

(ख) उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में उक्त रिक्तियां कितने प्रतिशत कम हैं ;

(ग) निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है ;

(घ) क्या न्यायाधीशों की उक्त आवश्यक संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ङ) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में प्रति दस लाख जनसंख्या पर उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या कितने प्रतिशत है ; और

(च) सरकार द्वारा उक्त मामलों के निपटान में विलंब और न्यायाधीशों की कमी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक आँकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 03.08.2026 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नागर हवेली तथा दमण एवं दीव के संग राज्य क्षेत्रों की निचली अदालतों में तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या और ऐसे मामलों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	3 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	कुल लंबित मामलों का प्रतिशत
1.	महाराष्ट्र	24,69,089	40%
2.	मध्य प्रदेश	7,06,810	33%
3.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश	2,958	34%

(ख) : न्याय विकास पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 03.08.2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के 7,310 पद रिक्त हैं, जो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत 30,868 पदों की कुल संख्या का 23.68% है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों की निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में उनके रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत शक्ति	रिक्ति	रिक्ति %
1.	महाराष्ट्र	5247	897	17.09
2.	मध्य प्रदेश	2051	368	17.94
3.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र	7	1	14.28

(ग) और (घ) : विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट (1987) में प्रति दस लाख भारतीय जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों के अनुपात की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, 245वीं रिपोर्ट (2014) में विधि आयोग का मानना है कि प्रति व्यक्ति मुकदमों की संख्या भौगोलिक क्षेत्रों में काफी भिन्नता होती है, क्योंकि यह जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से जुड़ी होती है। अतः विधि आयोग ने न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को देश में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या अवधारित करने का वैज्ञानिक मानदंड नहीं है। विधि आयोग ने "निपटान दर" पद्धति को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी पाया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को निपटाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि लंबित मामलों का नया ढेर उत्पन्न न हो।

अगस्त 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा था। एनसीएमएस समिति ने मार्च 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने "भारित" निपटान दृष्टिकोण अर्थात् स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता के आधार पर निपटान का प्रस्ताव दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 02.01.2017 के आदेश के अनुसार, न्याय विभाग ने एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेजी है ताकि वे जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित संख्या अवधारित करने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकें।

(ङ) : न्याय विकास पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 03.08.2026 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों

में प्रति मिलियन जनसंख्या (पिछली जनगणना के अनुसार) न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीश
1.	महाराष्ट्र	46.69
2.	मध्य प्रदेश	28.24
3.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	11.92

(च) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारी, भौतिक अवसंरचना, अंतर्विष्ट तथ्यों की जटिलता, जांच की गुणवत्ता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे कि बार एसोसिएशन, जांच अभिकरणों, गवाहों और वादियों का सहयोग सम्मिलित है। यद्यपि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें न्यायाधीशों की समयबद्ध नियुक्ति, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का प्रोत्साहन, नई आपराधिक विधि, 2023 का अधिनियमन और कार्यान्वयन, त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर बल देना सम्मिलित है।

उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है, जो प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार द्वारा उपलब्ध अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखकर सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का दायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ अनुच्छेद 233 और 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती संबंधी नियम एवं विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समयसीमाएं अनुबंधित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाएगा।
